

कार्यालय, संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग, चूरु

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (ऊर्दू) पद हेतु भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ.-ऊर्दू(नॉनटीएसपी)-2018/2020 दिनांक 13-08-20 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (ऊर्दू) के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार लेवल-11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/-रु.प्रतिमाह /विद्यमान(पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश परिपत्र दिनांक 02-07-2020 के अनुसरण में दिनांक 17-08-2020 को आयोजित परामर्श कैंम्प के माध्यम से निम्नांकित अभ्यर्थी को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (ऊर्दू) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है ।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रैमुरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।


सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :-

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करे। एवं नियुक्ति/पदस्थापन आदेश पर अभ्यर्थी का फोटो चस्पा कर प्रमाणित करें ।
02. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
03. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लें।
04. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
05. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
06. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
07. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
08. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
09. नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/-रु0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे । यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।
10. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है ,अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति की मिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी की मिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।

11. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नही होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नही कराया जावे तथा आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दिया जावे । उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
12. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावे ।
13. आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की जाँच मूल प्रमाण पत्रों से कर ली जावे यदि जाँच में किसी भी प्रकार की भिन्नता पायी जावे तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावे ।
14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/रु0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
15. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
16. वरिष्ठ अध्यापक , माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों का आवंटन एवं पदस्थापन वरिष्ठ अध्यापक , माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में विचाराधीन समान याचिकाओं के अन्तिम निर्णयाधीन रहेगी ।
17. पूर्व में सेवारत परिवीक्षाधीन कनिष्ठ सहायक का चयन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर होने पर पूर्व पद से त्याग पत्र प्रस्तुत करने पर ही नवीन पद पर कार्यग्रहण करवाया जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 31-08-2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।


संलग्न:- आदेश संख्या : 01 से 03 तक।


 (सुरेन्द्र सिंह गौड़)
 संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
 चूरु संभाग, चूरु
 दिनांक 17.08.2020

क्रमांक : संनि/स्कूल-शिक्षा/चूरु/संस्था-ब/आरपीएससी-2018/उर्दू/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरु/झुन्झुनू/सीकर को संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित विद्यालयों को भिजवाए जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी0आर0सी0एफ0 समग्र शिक्षा अभियान
10. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को प्रेषित किए जा चुके हैं, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।
11. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
13. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
14. रक्षित पत्रावली


 संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
 चूरु संभाग, चूरु

कार्यालय-संयुक्त निदेशक, (स्कूल-शिक्षा) चूरु सम्भाग, चूरु


क्रमांक:-संनि / स्कूल-शिक्षा / चूरु / संस्था-ब / आरपीएससी-2018 / उर्दू / 2020

दिनांक 17.08.2020

आदेश संख्या- 01

विषय-उर्दू

| S. NO | MERIT NO. | NAME FATHER NAME AND DOB | ADDRESS | SELE. CAT. | H. CAT. | OWN CAT. | POSTING PALACE | PHOTO |
|-------|-----------|---|---|------------|---------|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | ALTIF KHAN RAFIK KHAN 05-08-1992 | WARD NO 09 NEAR MADINA MASJID AATHUNA MOHALLA CHURU CHURU 331001 | GENM | | BC | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAHANALI CHHOTI (215408) |  |
| 2 | 4 | SAHHRUKH KHAN TAJ MOHAMMED KHAN 15-08-1993 | V/POST BHAGASARAN VIA BESWA TEH FATEHPUR SIKAR 332303 | GENM | | BC | GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL ALMAS (466554)(08130111901) |  |
| 3 | 9 | MOHAMMOD RAFIK SARIF KHAN 01-02-1982 | WARD NO.19 NEAR MADINA MASJID TEH- RAJGARH CHURU 331023 | GENM | | BC | GOVT. SECONDARY SCHOOL HANSIYAWAS (215202) |  |
| 4 | 12 | ABID HUSSAIN MOHMD YOOSUF KHAN 09-09-1981 | VPO - KIRDOLI TEH - DHOD SIKAR SIKAR 332041 | GENM | | BC | GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL JAJOD (213200) |  |
| 5 | 16 | MOHD IMRAN SAIYAD HUSSAIN 24-06-1991 | madina masjid ke pass ward no 09 churu CHURU 331001 | GENM | | BC | GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL SARDARSHAHAR |  |
| 6 | 19 | SADDAM HUSSAIN ROSHAN ALI 14-07-1992 | vill- bhagasara post- beswa teh- fatehpur SIKAR 332303 | GENM | | BC | LRRD BUDHIA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BESWA (213145) |  |
| 7 | 25 | JABIR HUSAIN IRFAN KHAN 05-08-1991 | VPO KASLI TEHSIL DHOD SIKAR SIKAR 332002 | GENM | | BC | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GARINDA (213130) |  |


(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु सम्भाग, चूरु

कार्यालय-संयुक्त निदेशक, (स्कूल-शिक्षा) चूरु सम्भाग, चूरु


क्रमांक:-संनि/स्कूल-शिक्षा/चूरु/संस्था-ब/आरपीएससी-2018/उर्दू/2020

दिनांक 17.08.2020

आदेश संख्या- 02

विषय-उर्दू

| S. NO | MERIT NO. | NAME FATHER NAME AND DOB | ADDRESS | SELE. CAT. | H. CAT. | OWN CAT. | POSTING PALACE | PHOTO |
|-------|-----------|--|---|------------|---------|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 28 | MOHD ARIF IQBAL HUSSAIN 20-09-1989 | NEAR GOPI NATH TEMPLE MOHALL KHORA WARD NO. 33 JHUNJHUNU 333001 | GENM | | BC | SHAHEED NIYAMAT ALI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JABASAR (211590) |  |
| 2 | 31 | RIJWAN KHAN MUSTKEEM KHAN 15-11-1994 | WARD-10 VILLAGE-BHURANPURA P.O.- CHAHUWALI HANUMANGARH 335526 | GENM | | BC | GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL BARJANGSAR (419451)(08040317202) |  |
| 3 | 38 | MOHD ANEESH ANWAR ALI 14-11-1990 | NEAR MAKKI MASJID NAI SADAK WARD NO.12 CHURU 331001 | GENM | | BC | GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL GANDHI BASTI SUJANGARH (215522) |  |
| 4 | 45 | SHAGUFTA MOHAMMED YUNUS 30-06-1984 | MUGHAL MANZIL KUCHILPURA BIKANER BIKANER 334001 | GENF | | GE,WE | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANWARI (215564) |  |
| 5 | 59 | NAZMA BANU AKBAR KHAN 06-07-1990 | VPO- DHANURI TEH- MALSISAR - JHUNJHUNU 333011 | GENF | | BC,WE | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOLSAR (215572) |  |
| 6 | 73 | MUNAVVAR ABBASI HAZI MOINUDEEN 15-10-1987 | KASHAIYON KI BARI DHIGGA - BIKANER 334001 | OBCF | | BC,WE | SHRI KALYAN GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SILVER JUBLEE ROAD SIKAR (219151) |  |
| 7 | 81 | PARMESHAWAR LAL RUPA RAM 01-02-1980 | VPO-ATHWAS FATEHPUR SIKAR SIKAR 332401 | SCM | | SC | GOVT. SECONDARY SCHOOL PUNANI (466434) |  |


 (सुरेन्द्र सिंह गौड़)
 संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
 चूरु सम्भाग, चूरु

कार्यालय-संयुक्त निदेशक, (स्कूल-शिक्षा) चूरु सम्भाग, चूरु


क्रमांक:-संनि/स्कूल-शिक्षा/चूरु/संस्था-ब/आरपीएससी-2018/उर्दू/2020

दिनांक 17.08.2020

आदेश संख्या- 03

विषय-उर्दू

| S. NO | MERIT NO. | NAME FATHER NAME AND DOB | ADDRESS | SELE. CAT. | H. CAT. | OWN CAT. | POSTING PALACE | PHOTO |
|-------|-----------|---|---|------------|---------|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 82 | SITARAM MEENA PRAHLAD MEENA 01-07-1991 | piplwali dhani meena mohlla,gaon - yashodanandpura Mahapura @ Turkiya,Tonk,Rajasthan TONK 304025 | STM | | ST | SHREE GANESHIRAM JHANWAR GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL WARD NO. 23 NAYA BASS SUJANGARH (215527) |  |
| 2 | 85 | SHEIKH AFSHA MOHMMAD ABID 14-09-1985 | NEAR SONU MONU SCHOOL SEC NO 3 MUKTA PRASAD NAGAR BIKANER 334004 | GENF | WD | GE,WE, WD | SHRI MOHANLAL RATANIDEVI JALAN GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GORISAR (215584) |  |
| 3 | 89 | KAMLESH MEENA FAILIRAM MEENA 20-09-1993 | VPO SEEDRA POST SEEDRA NEWAI TONK 304021 | STM | | ST,RG | GOVT. SECONDARY SCHOOL TELIYAN 09 SUJANGARH (215524) |  |
| 4 | 95 | VINOJ KUMAR BAIRWA TEJA PAL BAIRWA 12-07-1989 | village devri post khohlya tehsil uniyara TONK 304023 | SCM | | SC | SHAHEED S.R.KUMAWAT AND K.L. TAMBHI GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PALSANA (219144) |  |
| 5 | 96 | HARIKESH VERMA DEVILAL RAIGER 26-08-1985 | VPO-BAHATER TEH- MALARNA DOONGER - SAWAIMADHOPUR 322028 | SCM | | SC | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAJODIA SUJANGARH (215528) |  |
| 6 | 109 | AZAZ NABI FAIJAR ALI 03-07-1976 | VILL-GANGIYASAR POST- GANGIYASAR VIA- BISSAU JHUNJHUNU 331027 | OBCM | EX | BC,EX | GOVT. SECONDARY SCHOOL BAS MARODA (227215) |  |


(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु सम्भाग, चूरु